

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

Original

3841140 JJ

(फार्म)

[मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182 धारा 183 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2), 184, 186, 189, 191, 192, 194, 196 या धारा 198 देखें]।

(जुर्माना करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी जुर्माने की राशि की प्राप्ति रसीद देगा)।

श्री जिनकी मोटरगाड़ी
निबंधन संख्या 33 830 है, को मोटरगाड़ी अधिनियम,
1988 की धारा B.H.02-67-96 के अन्तर्गत
अभियोजन प्रतिवेदन संख्या 177 , दिनांक 22/8/17
द्वारा अभियोजित किया गया है, से जुर्माना की राशि के रूप में रुपये (अंक में)
100/ रुपये (शब्दों में)
..... पोया।

Gudhly Kumar
अभियोजन स्थान
दिनांक

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
22/8/17